न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I,** (RAS)

राजस्व वाद पत्र संख्या :– **173/2024 RCMS 2024/321**

वादीगण :–

1. ललित खोखर पुत्र बलेदवाराम जाति जाट निवासी शिवदानुपरा तहसील कुचामन सिटी
2. शिवकरण मूंड पुत्र रामधन मूंड जाति जाट निवासी सोनी की बाड़ी, सैनिक बस्ती, नागौर तहसील नागौर जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. छोटीदेवी पत्नी धासीराम जाति कुमावत निवासी कुचामन सिटी
2. मदनसिंह दत्तक पुत्र चैन सिंह जाति राजपूत निवासी सरगोठ
3. महेन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी सरगोठ
4. मोहनकंवर पत्नी पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी सरगोठ
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी सरगोठ
6. साग कंवर पुत्री पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी सरगोठ
7. गोविन्दराम पुत्र घासीराम जाति कुमावत निवासी आसनपुरा
8. परमाराम कुमावत पुत्र राजूराम जाति कुमावत निवासी आसनुपरा
9. भंवरलाल कुमावत पुत्र लिछमन राम कुमावत निवासी झालरा रोड़ कुचामन सिटी
10. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा कुचामन सिटी
11. उप पंजीयक कुचामन सिटी
12. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

वाद पत्र :– वाद वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन व रिकॉर्ड, नक्शा में दुरूस्ती अंतर्गत 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व अंतर्गत नियम 60 सपठित नियम 372 राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957

उपस्थित :– श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक :– 19/12/2024

यह वाद वादीगण द्वारा जरिए वकील श्री बिरमाराम चौधरी के प्रस्तुत किया गया। वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा ग्राम सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1264 कुल रकबा 11.6200 हैक्टयर कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 ता 06 के साथ स्थित रही है। वाद पत्र के साथ जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न है। मौजा सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामन सिटी की राजस्व सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1443/1264 [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 09 की कब्जाशुदा, खरीदशुदा, खातेदारीशुदा कृषि भूमि [illegible] जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 09 अपनी इच्छा अनुसार उपयोग व [illegible] खसरा संख्या 1264 का विधिवत् बंटवारा स्कीम ली जाकर श्रीमान न्यायालय [illegible] खसरा संख्या 1264 [illegible] होने पर खसरा संख्या 1443/1264 कायम हुए जो कि प्रतिवा[illegible] संख्या 07 ता 09 की [illegible] में दर्ज है। खसरा संख्या 1264 तथा 1443/1264 का बंटवारा होने के पश्चात उक्त दोनों खसरों के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मौके पर बंटवारा स्कीम अनुसार कब्जा काश्त है परंतु नक्शा तरमीम मौके स्थिति अनुसार नहीं होकर त्रुटिपूर्ण तरीके से खसरा संख्या 1443/1264 संलग्न नजरी नक्शे अनुसार खसरा संख्या 1264 का जो हिस्सा पूर्वी तरफ के रास्ते से लगता है उसके बिल्कुल बीच में है। (नजरी नक्शा संलग्न है) ग्राम सरगोठ के खसरा संख्या 1264 की राजस्व नक्शा ट्रेस में विभाजन से पूर्व की स्थिति दर्ज जिससे स्थिति स्पष्ट है। (नजरी नक्शा संलग्न है।) राज्य सरकार ने Digital India land Modernization Programme के तहत राजस्थान राज्य द्वारा राज्य की सभी तहसीलों के राजस्व रेकर्ड को डिजिटल किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान ग्राम सरगोठ के खसरा संख्या 1443/1264 को रास्ते से उतर की तरफ अधिक दर्शा त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से तरमीम कर दिया गया जबकि 1443/1264 संलग्न नजरी नक्शे अनुसार खसरा संख्या 1264 का जो हिस्सा पूर्वी तरफ के रास्ते से लगता है उसके बिल्कुल बीच में है। यह त्रुटि मात्र नक्शे के डिजिटलाईजेशन के दौरान हुई है। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। खसरा संख्या 1264 के उतर में जो खसरा संख्या 144321264 अधिक तरमीम किया गया है वह किसी भी तरह से नक्शा लठा से तथा मौके की स्थिति से मेल नहीं खाता है। नक्शा लठा व मौके की स्थिति के अनुसार नक्शा संलग्न है जो कि परिशिष्ट ''क'' है जिसे इस आवेदन–पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे। वादीगण पटवारी हल्का द्वारा सहवन से तरमीम किये गए खसरा संख्या 1264 के उतर में अधिक तरमीम हुए खसरा संख्या 1443/1264 को नक्शा लठा व मौके की स्थिति के अनुसार दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई गलत तरमीम के कारण वादीगण को भारी असुविधाओं का सामना करना पंड़ रहा है तथा वादीगण अपनी खातेदारीशुदा भूमि को विकसित नहीं कर पा रही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट ''क'' के अनुसार नक्शे को तरमीम किये जाने से किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो रही है। उपरोक्त खसरा संख्या की भूमि वादीगण अपने हक हिस्से की कृषि भूमि को निर्वाद रूप से काश्त करते आ रहे है तथा अपने हक हिस्से की भूमि के चारों ओर नींव, सींव कायम कर काश्त करते आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने अपने बंट व हक हिस्से की भूमि को आपसी सहमति से कई वर्षो से बांट कर बंटवारा कर रखा है जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीण संख्या 01 ता 06 मौके पर अपनी हक हिस्से की भूमि आपसी सहमति से भू–विभाजन कर अपने अपने हिस्से पर नींव सींव कायम कर अपनी सुविधानुसार काश्त करते आ रहे है। वादीगण उपरोक्त खसरा संख्या नम्बर की भूमि में वादीगण के हक हिस्से की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है तथा वादीगण के हक हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 ता 06 अपनी सुविधानुसार मौके पर आपसी सहमति से कई वर्ष पूर्व से भू–विभाजन कर काश्त एवं उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। मौके पर आपसी सहमति से वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि के चारों ओर बाड़, तारबंदी इत्यादि कर काश्त करते आ रहे है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में अविभाजित होने के कारण किसान कार्ड, ऋण आदि में समस्या आती है। इसलिए वादीगण को भू–विभाजन का वाद लाना आवश्यक हुआ है। जिसका वह अधिकारी है। खसरा नम्बर 1264 की भूमि में वादीगण की कृषि भूमि में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार व नजरी नक्शे में स्थान ''ए'' पर अंकित है। बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवाकर separate holding करवाना चाहता है। जिससे भविष्य में बंटवारा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। नजरी नक्शे वाद पत्र का एक भाग समझा जावे। वादीगण [illegible] कब्जा काश्त व नजरी नक्शे के स्थान ए पर अंकित अनुसार नक्शा ट्रेस में [illegible] वह अधिकारी है। प्रतिवादीगण 01 ता 09 सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार व प्रतिवादीगण संख्या 10 भूमि रहन होने के कारण पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 11 भूमिधारी होने से औपचारिक पक्षकार है। मौजा ग्राम सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1264

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

कुल रकबा 11.6200 हैक्टयर कृषि भूमि में वादीगण के हक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावे तथा वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त व नजरी नक्शे के स्थान ए पर अंकित अनुसार वाद नाप चौक **by meets & bounds** भू विभाजन करवाकर **separate holding** व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान करावें।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 ने राजीनामा पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 से 12 के सम्मन तामिल होकर शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी संख्या 10 से 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 द्वारा राजीनाम पेश किया है कि

मौजा ग्राम सरगोठ पटवार हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1264 कुल रकबा 11.6200 हैक्टेयर कृशि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 के साथ स्थित रही है। राजीनामा के साथ जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न है। मौजा ग्राम सरगोठ पटवार हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी की राजस्व सरहद में स्थित कृशि भूमि खसरा संख्या 1443/1264 कुल रकबा 2.0300 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 की कब्जासुदा, खरीदसुदा, खातेदारीसुदा कृशि भूमि आई हुई है। जिस पर प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 अपनी इच्छा अनुसार उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। खसरा संख्या 1264 का विधिवत् बटवारा स्कीम ली जाकर श्रीमान न्यायालय द्वारा किया गया था। खसरा संख्या 1264 का बंटवारा होने पर खसरा संख्या 1443/1264 कायम हुये जो कि प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 की खातेदारी में दर्ज है। खसरा संख्या 1264 तथा 1443/1264 का बटवारा होने के प चात उक्त दोनो खसरों के खातेदार मौके पर बटवारा स्कीम अनुसार कब्जा का त हैं परन्तु नक्शा तरमीम मौके स्थिति अनुसार नहीं होकर त्रुटीपूर्ण तरीके से खसरा संख्या 1443/1264 संलग्न नजरी नक्शे अनुसार खसरा संख्या 1264 का जो हिस्सा पूर्वी तरफ के रास्ते से लगता है उसके बिलकुल बीच में है। (नजरी नक्शा संलग्न है) ग्राम सरगोठ के खसरा संख्या 1264 की राजस्व नक ाा ट्रेस में विभाजन से पूर्व की स्थिति दर्ज है जिससे स्थिति स्पष्ट है। (ट्रेस नक्शे की प्रति संलग्न है) राज्य सरकार ने Digital India Land Records Modernization Programme के तहत राजस्थान राज्य द्वारा राज्य की सभी तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया। इस प्रकिया के दौरान ग्राम सरगोठ के खसरा संख्या 1443/1264 को रास्ते से उतर की तरफ अधिक दर्शा त्रुटीपूर्ण तरीके से दर्ज कर राजस्व अधिकारीयों द्वारा सहवन से तरमीम कर दिया गया जबकि 1443/1264 संलग्न नजरी नक्शे अनुसार खसरा संख्या 1264 का जो हिस्सा पूर्वी तरफ के रास्ते से लगता है उसके बिलकुल बीच में है। यह त्रुटी मात्र नक्शे के डिजिटलाइजेशन के दौरान हुयी है। खसरा संख्या 1264 के उतर में जो खसरा संख्या 1443/1264 अधिक तरमीम किया गया है वह किसी भी तरह से नक्शा लठा से तथा मौके की स्थिति से मेल नहीं खाता है। जो की परिषिश्ट "क" है जिसे इस राजीनामा का अभिन्न अंग समझा जावे। वादीगण पटवारी हल्का द्वारा सहवन से तरमीम किये गए खसरा संख्या 1264 के उतर में [illegible] तरमीम हुए खसरा संख्या 1443/1264 को नक ाा लठा व मौके की स्थिति [illegible] अधिकारी हैं। राजस्व अधिकारियों द्वारा की गयी गलत तरमीम के कारण वादीगण को भारी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है तथा वादीगण एंव प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी ुदा भूमि को विकसित नही कर पा रहे है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत परिषिश्ट "क" के अनुसार नक्शे को तरमीम किये जाने से किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो रही है। उपरोक्त खसरा नं. कि भूमि वादीगण अपने हक हिस्से की कृशि भूमि को निर्वाद रूप से का त करते आ रहे है तथा अपने हक हिस्से की भूमि के चारो और नींव,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

सींव कायम कर कास्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा मौके के अनुसार नक्शे मे तरमीम किया जाने का आदेश फरमाया जाये ताकी वादीगण एवं प्रतिवादीगण को मौके को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद उत्पन नही हो।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 1264 रकबा 11.62 हैक्टैयर मे से 2.03 हैक्टेयर वादीगण को नजरी नक्शे मे स्थान ए के अनुसार बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवा कर separate holding व परिषिश्ट "क" में स्थान ए पर वादीगण रकबा 2.03 हेक्टेयर, स्थान सी पर प्रतिवादीगण सं. 7, 8, 9 खसरा नं. 1443/1264 रकबा 2.03 हैक्टेयर, स्थान सी पर प्रतिवादीगण सं. 1 रकबा 1.62 हैक्टेयर, स्थान डी पर प्रतिवादीगण सं. 2, 3, 4, 5, 6 रकबा 7.97 हेक्टैयर अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम में दुरूस्ती करने का आदेश जरिये राजीनामा फरमाया जाये।

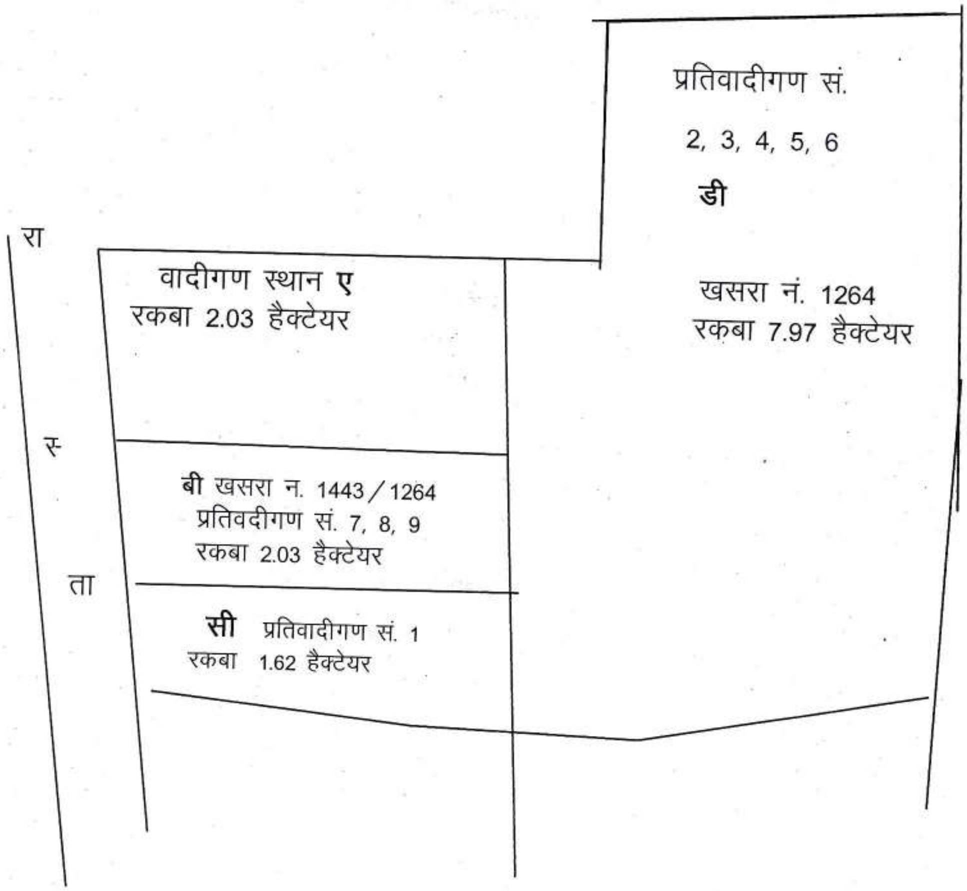

अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न राजीनामा का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकार का ... अंतिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अंतिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

आदेश

वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" में स्थान "A" पर वादीगण रकबा 2.03 हेक्टेयर, स्थान "B" पर प्रतिवादीगण सं. 7, 8, 9 खसरा नं. 1443/1264 रकबा 2.03 हैक्टेयर, स्थान "C" पर प्रतिवादीगण सं. 1 रकबा 1.62 हैक्टेयर, स्थान "D" पर प्रतिवादीगण सं. 2, 3, 4, 5, 6 रकबा 7.97 हेक्टैयर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। राजीनामा के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अंतिम निर्णय डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 19/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी
जिला (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

बईजलास अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I,** (RAS)

राजस्व वाद पत्र संख्या :– **173/2024 RCMS 2024/321**

वादीगण :–

1. ललित खोखर पुत्र बलेदवाराम जाति जाट निवासी शिवदानुपरा तहसील कुचामन सिटी
2. शिवकरण मूंड पुत्र रामधन मूंड जाति जाट निवासी सोनी की बाड़ी, सैनिक बस्ती, नागौर तहसील नागौर जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. छोटीदेवी पत्नी धासीराम जाति कुमावत निवासी कुचामन सिटी
2. मदनसिंह दत्तक पुत्र चैन सिंह जाति राजपूत निवासी सरगोठ
3. महेन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी सरगोठ
4. मोहनकंवर पत्नी पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी सरगोठ
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी सरगोठ
6. साग कंवर पुत्री पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी सरगोठ
7. गोविन्दराम पुत्र घासीराम जाति कुमावत निवासी आसनपुरा
8. परमाराम कुमावत पुत्र राजूराम जाति कुमावत निवासी आसनुपरा
9. भंवरलाल कुमावत पुत्र लिछमन राम कुमावत निवासी झालरा रोड़ कुचामन सिटी
10. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा कुचामन सिटी
11. उप पंजीयक कुचामन सिटी
12. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

वाद पत्र :– वाद वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन व रिकॉर्ड, नक्शा में दुरूस्ती अंतर्गत 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व अंतर्गत नियम 60 सपठित नियम 372 राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' में स्थान ''A'' पर वादीगण रकबा 2.03 हेक्टेयर, स्थान ''B'' पर प्रतिवादीगण सं. 7, 8, 9 खसरा नं. 1443/1264 रकबा 2.03 हैक्टेयर, स्थान ''C'' पर प्रतिवादीगण सं. 1 रकबा 1.62 हैक्टेयर, स्थान ''D'' पर प्रतिवादीगण सं. 2, 3, 4, 5, 6 रकबा 7.97 हेक्टैयर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। राजीनामा के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अंतिम डिकी पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु [illegible] जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाब[illegible] खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख [illegible] का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुह[illegible] 19 [illegible] माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

दस्तखत.....................................

(मुहर)

ओहदा.....................................

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी, जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)

क्रमांक/कोर्ट/2024/322 दिनांकः– 20/12/2024

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामन सिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण सं. 173/2024 ललित खोखर वगैराह बनाम छोटी देवी वगैरह में पारित निर्णय की पालना बाबत्।

– – – –

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख कि इस न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण संख्या 173/2024 ललित खोखर वगैराह बनाम छोटी देवी वगैरह में निर्णय पारित कर निर्णय की पालना हेतु प्रमाणित प्रति आपको भिजवाई जा रही है। निर्णय की पालना की जाकर अवगत करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:23 IST
Reason: SelfAttested